सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–30 / 2024(2024 / 50) दर्ज तिथिः–13.03.2024

1. ग्राम पंचायत जांभोजी का मंदिर जरिये सरपंच विमला देवी विश्नोई

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना–बाड़मेर।

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः–पैरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.12.2024

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य सरकार का खसरा संख्या 46 / 1 / 0.3236 है0 का ग्राम जांभाजी का मंदिर में आया हुआ था जिसमें से क्षेत्रफल 0.1214 है0 ग्राम पंचायत भवन के लिए आवंटन किया गया तथा आवंटन के अनुसार अलग से खसरा नंबर 46 / 2 कायम हुआ तथा राज्य सरकार का मूल खसरा 46 / 1 / 0.2023 है0 शेष रहा। ग्राम पंचायत भवन का निर्माण मौके पर हो रखा है तथा शेष आराजी मौके पर खाली है। वर्तमान समय में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भवन के कागजात हेतु जमाबंदी लेने पर ज्ञात हुआ कि आवंटन के समय कि गई तरमीम मौके पर कब्जे के विपरीत है। इस प्रकार ग्राम पंचायत भवन दूसरे खसरे में आ गया इसलिए भौतिक कब्जे के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:09 IST
Reason: SelfAttested

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 3037 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर ग्राम पंचायत भवन व राजीव गांधी सेवा केन्द्र वर्तमान तरमीम के विपरीत बने हुए है तथा वर्तमान तरमीम को परिशिष्ट B के अनुसार संशोधन करने हेतु कथन किया है। तथा खसरा संख्या 46/2 परिशिष्ट 'बी' में बरंग हरा से दर्शाते हुए इसी अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट'B' के अनुसार खसरा संख्या 46/1 व 46/2 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा विप्रार्थी के नाम शेष रही आराजी में अन्य कोई सरकारी भवन निर्माण में कोई तकनीकी त्रुटी नही रहेगी तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए परिशिष्ट 'B' अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. पैरोकार सरकार ने विप्रार्थी द्वारा बनाई मौका रिपोर्ट के अनुसार दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए परिशिष्ट बी के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा विप्रार्थी के रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'B' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:09 IST
Reason: SelfAttested

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थी_ के खसरा संख्या 46/2/0.1241 है0 की वर्तमान तरमीम ग्राम पंचायत हेतु निर्मित भवन के विपरीत होने से तथा शेष विप्रार्थी के नाम रहे खसरा संख्या 46/1/0.2023 है0 की भूमि मौके पर खाली होने से विप्रार्थी की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 07.12.2024 के साथ संलग्न उभयपक्षकारों की सहमति युक्त नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–'B' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती व रकबा बराबर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.2024 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'B' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:53:09 IST
Reason: SelfAttested